न्यायालय उपखण्ड अधिकारी व सहायक जिलाधीश, मसूदा

(5)

राजस्व वाद पत्र सं0 155/2011

1. घासी वल्द लादूजी आयु 50 साल जाति चमार
2. सुवा वल्द लादूजी जाति चमार
   निवासियान ग्राम बरल दोयम तहसील बिजयनगर जिला अजमेर। —— **प्रार्थीगण**

बनाम

1. श्री हरीकिशन वल्द रघुनाथ सिंह जी मानसिंहका आयु बालिग निवासी पुसा निवास रेलवे लाईन के पास, भीलवाडा (राज0)।
2. श्री भेरूलाल वल्द नानूराम कौम बलाई निवासी ग्राम मेजा तहसील मांडल जिला भीलवाडा (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक नायब तहसीलदार बिजयनगर।
4. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार मसूदा। —— **अप्रार्थीगण**

वाद वास्ते घोषणा अधिकार व स्थाई निषेधाज्ञा व अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:– निर्णय :– दिनांक 13.06.2016

वादीगण ने इस वाद में सारांशतः निवेदन किया है कि मौजा बरल द्वितीय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर स्थित अराजी खसरा न0 1126/1479 रकबा 03–15–00 बीघा भूमि जो विवादित कहलाई जाती है इसमें 2/3 हिस्सा वादीगण का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 का है। खसरा न0 1126/1 व 1126/2 प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी का है। राजस्व अभिलेख में ये तीनों नम्बर अलग–अलग खातेदारान की खातेदारी में पृथक–पृथक खातों में अंकित है जो मूल खसरा न0 1126 के भाग हैं। मौके पर खातेदारान अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं लेकिन खसरा न0 1126 राजस्व नक्शे में एक ही है इसमें विवादित खसरा सं0 1126/1479 व 1126/1 व 1126/2 की पृथक–पृथक तरमीम अंकित नहीं है। वादग्रस्त अराजी नक्शे में खसरा न0 1126 के पूर्व की ओर स्थिति है। विवादित अराजी चाही है जिसकी सिंचाई पिछले 60 वर्षों से भी अधिक समय से खसरा न0 1126/1 व 1126/2 में से होकर पाइप लाईन के जरिये होती रही है तथा वादीगण अर्से दराज से खसरा न0 1127, 1126/1, 1126/2 व 1123 के पश्चिम किनारे होकर उत्तर से दक्षिण की तरफ रास्ते से आते जाते हैं इस रास्ते को आम बोलचाल में शक्कर मिल का रास्ता कहा जाता है। वादीगण इस रास्ते से लगते हुए खसरा न0 1126 की उत्तरी पाल सदैव अपनी खातेदारी की भूमि खसरा न0 1126/1479 में मय बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि सहित अपने बुजुर्गों के समय से खुलेआम बिना रोकटोक आ जा रहे हैं। किन्तु प्रतिवादी सं0 1 की नीयत बद हो गई है और उसने अपने कारकुनों को साथ लेकर खसरा न0 1126 के व 1126/1 एवं 1126/2 के पश्चिमी हिस्से में गहरे खड्डे कर दिये हैं और नीवें खोद कर पक्की दिवार का निर्माण करवाना चाहता है और वादीगण के खेत पर जाने के रास्ते की भूमि को अपनी खातेदारी में मिलाने पर आमादा है। वादीगण द्वारा उच्चअधिकारियों से गुहार लगाने पर नीवं खोदना व निर्माण कार्य बंद कर दिया है लेकिन उसने धमकी दी है कि खसरा न0 1126/1 व 1126/2 की चार दिवारी बनाकर उसमें रास्ते की भूमि मिला देगा और वादीगण के खेत खसरा न0 1126/1479 पर आने जाने का रास्ता बंद कर देगा। प्रतिवादी सं0 1 एवं प्रतिवादी सं0 2 के मिले हुए होने से प्रतिवादी सं0 1 का हौसला बुलंद है। प्रतिवादी सं0 1 भीलवाडा सामर्थ्यवान का व्यक्ति है तथा वादीगण निर्बल व गरीब व्यक्ति है इसलिए प्रतिवादी वादीगण का रास्ता बंद कर सकता है।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

इसलिए वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर यह घोषित किया जावे कि प्रतिवादीगण को खसरा न0 1126 के पश्चिमी किनारे पर अथवा किसी भी भाग पर निर्माण कर वादीगण के खेत खसरा न0 1126/1479 में पूर्वजों के समय से

आने जाने, वाहन लाने ले जाने व सिंचाई के साधन को बंद करने का अधिकार नहीं है और न ही पक्का निर्माण करने के अधिकारी हैं। इसी आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी सं0 1 व 2 को किसी से भी अथवा किसी भी रूप में वादीगण के रास्ते में रूकावट पैदा करने से निषेध किया जावे।

आज पत्रावली न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प मुकाम बरल द्वितीय पर पेश हुई। वकील वादीगण एवं स्वयं वादीगण उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण एवं पैरोकार प्रतिवादी सं0 3 व 4 उपस्थित। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्श 1 नक्शा किश्तवार मौजा बरल द्वितीय संवत् 2027–28 में खसरा न0 1126 को एक ही चक में दर्शाया गया है उसमें खसरा न0 1126/1479 व 1126/1 तथा 1126/2 को पृथक–पृथक नहीं दर्शाया गया है लेकिन रास्त डोट–डोट से दर्शाया गया है। प्रदर्श 2 ग्राम बरल द्वितीय की जमाबंदी के खाता सं0 179 में 1126/1479 रकबा 03–15–00 में 2/3 हिस्सा वादीगण एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0 2 का अंकित है तथा प्रदर्श 3 के खाता सं0 803 में खसरा न0 1126/1 व 1126/2 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी का है। वादीगण ने अपने बयानों एवं मुख्य परीक्षण में भी अपने वाद कथन की पुष्टी की है। ऐसी स्थिति में वादीगण के इन कथनों की पुष्टी होती है कि उनकी खातेदारी के खेत खसरा न0 1126/1479 में उनके 2/3 हिस्से में आने जाने का रास्ता खसरा न0 1127, 1126 व 1123 के पश्चिम किनारे होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है जो नक्शे में भी चिन्हित किया हुआ है। वादीगण वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है अतः स्वीकार किया जाता है।

वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 को राजस्व नक्शे में दर्शित खसरा न0 1126 व राजस्व रिकार्ड अनुसार खसरा न0 1126/1 व 1126/2 के पश्चिमी किनारे अथवा उनके किसी भी भाग पर निर्माण कर वादीगण के खेत खसरा न0 1126/1479 में आने जाने व वाहन लाने ले जाने तथा सिंचाई के साधन को बंद करने का अधिकार नहीं है ना ही कोई पक्का निर्माण करने का अधिकार है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के विवादित अराजी पर आने जाने के रास्ते एवं सिंचाई की सुविधा में व्यवधान पैदा करने एवं दखलंदाजी आदि करने व कराने से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2016 को "न्याय आपके द्वार" कार्यक्रम मुकाम बरल द्वितीय पर मजमें आम में सुनाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर मसूदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.03 12:38:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: